कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

– आ दे श –

क्रमांक :499 /लेखा/2023 रतलाम, दिनांक :04-9 2023

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/5971/चार–3–1/65 (एकजाई), जबलपुर दिनांक 22/08/2023 के द्वारा निम्न चयनित अभ्यर्थी के नाम की अनुशंसा किये जाने के फलस्वरूप उन्हें सहायक ग्रेड–3 (इंग्लिश नोइंग) प्रवर्ग के रिक्त पद पर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2009 के अंतर्गत वेतनमान 5200–20200 +1900 ग्रेड पे एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतनमान 19500–62000 में मैट्रिक्स लेवल क्र. 04 में प्रारंभिक वेतन 19500/– में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नलिखित शर्तो के अधीन तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है, उक्त अभ्यर्थी की वरियता रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक बी/5971 /चार–3–1/65 (एकजाई), जबलपुर दिनांक 22/08/2023 के अनुसार ही रहेंगी :–

क्र	नाम अभ्यर्थीगण	श्रेणी	पता
1	श्री दीपक झा	UR	म.न. 21, राजीव गांधी नगर कटंगा, पानी की टंकी के पास सदर केंट जबलपुर (म.प्र.) पिनकोड–482001

नोट :– आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर बिना युक्तियुक्त कारण के कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वमेव समाप्त हो जावेगा।

– नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें –

1. उक्त नियुक्ति म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार वित्त विभाग द्वारा म.प्र. मूलभुत नियमों में नियम–22 सी में उप–नियम (1) के स्थान पर किये गये संशोधन उप–नियम (1)(ख) तथा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 की कण्डिका " अ " अन्तर्गत 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थायी हैं। शिकायत प्राप्त होने/कर्तव्य के प्रति अनियमितता पाये जाने पर उक्त नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।

2. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ/9/3/2003–नियम–चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 लागू न होकर परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी एवं सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 भी लागू नहीं होंगे।

3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक सी 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।

4. अभ्यर्थी को म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के पालन में शपथ पत्र देना होगा कि –

1 – एक से अधिक पत्नी न हों।
2 – दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात् दो से अधिक जीवित संतान न हों।
3 – नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया गया हो।
4 – शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं।
5 – महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया हों।
6 – किसी प्रकार के अनैतिक क्रियाकलाप में संलग्न अथवा दोषसिद्ध नहीं पाया गया हैं।

5. अभ्यर्थी का यह नियुक्ति आदेश म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ–सी–15/2012/1/3 दिनांक 24.11.2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा हैं चरित्र सत्यापन के संबंध में उनके विरूद्ध कोई विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने से नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

6. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने या कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेंगी एवं विधि अनुसार अन्य कार्यवाही भी की जावेगी।

8. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रंण एवं अपील) नियम 1966 लागू रहेगा, साथ ही मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम 2016 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 जून 2019 में प्रकाशित THE MADHYA PRADESH DISTRICT COURT ESTABLISHMENT (Recruitment and Conditions) RULES, 2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय से समय–समय पर प्राप्त आदेश लागू रहेंगे।

9. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नवनियुक्त अभ्यर्थी का तीन वर्ष तक अन्तरमंडलीय स्थानान्तरण प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा प्रशासनिक आधार पर अन्तरमंडलीय स्थानान्तरण कभी भी किया जा सकेगा।

10. आवेदक को शासकीय मुख्य चिकित्सक का शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र, सेवापुस्तिका दो प्रति में एवं नामिनेशन प्रपत्र चार प्रति में 15 दिवस के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नियमित अथवा स्वाध्यायी रूप से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, यदि इसमें कोई अवहेलना पायी गयी तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेंगी।

12. नियुक्ति के पश्चात् यदि सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगे, तो इस हेतु आपको एक माह पूर्व नोटिस देना होगा या एक माह का वेतन जमा कराना होगा।

13. नियुक्ति के पश्चात राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।

14. नवीन नियुक्ति के स्थान पर पदस्थापना होने पर जाने हेतु कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जावेगा।

15. केन्द्र/राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. यह कि अन्य सेवा–शर्ते जो शासकीय सेवकों को राज्य शासन के निर्देशानुसार समय–समय पर लागू होती है, वह आप पर लागू होगी।

17. अभ्यर्थी को लिखित रूप में अभिस्वीकृति देनी होगी कि उसे उपयुक्त सभी शर्ते मान्य है और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे, अभ्यर्थी से इन सभी शर्तो की स्वीकृति जो दो साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित हो तो प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।

-sd-
(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम म.प्र.

पृ.क्रमांक : 3367/लेखा/2023 रतलाम, दिनांक : 04-9 .2023

प्रतिलिपि :–

01. जिला कोषालय अधिकारी रतलाम।
02. श्री दीपक झा, म.न. 21, राजीव गांधी नगर कटंगा, पानी की टंकी के पास, सदर कैंट, जबलपुर म.प्र.।
03. लेखापाल/वेतन लिपिक/जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम म.प्र.